भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3499

जिसका उत्तर 17 मार्च, 2021 को दिया जाना है।

26 फाल्गुन, 1942 (शक)

स्वदेशी रूप से विकसित एप्लीकेशन में चीनी निवेश

3499. श्री एम. सेल्वराज:
डॉ. अमर सिंह:
डॉ. ए. चेल्लाकुमार:
श्री के. मुरलीधरन:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मूल्यांकन के समय सोशल मीडिया 'कू' ऐप की मूल कंपनी में चीनी निवेश के बारे में पता था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त सोशल मीडिया ऐप पर प्रस्ताव का मूल्यांकन करते समय चीनी निवेश पर ध्यान दिया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार को ऐप में उक्त चीनी निवेश के बारे में किस तिथि को पता चला;

(घ) क्या ऐप डेवलपर द्वारा मोबाइल ऐप की स्वदेशी होने के संबंध में कोई मापदंड है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) सरकार द्वारा स्वेदशी रूप से विकसित सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग में विदेशी निवेश की निगरानी के लिए किए तंत्र की स्थापना की गई है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री संजय धोत्रे)

(क) से (घ) : भारत सरकार की मौजूदा एफडीआई नीति के अंतर्गत अद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के दिनांक 17 अप्रैल, 2020 के प्रेस नोट 3 की अधिसूचना तक आईटी कंपनियों को स्वचालित मार्ग से 100% निवेश की अनुमति दी गई थी। कू ऐप को इस तरह की अधिसूचना जारी होने से पूर्व एक भारतीय आईटी कंपनी द्वारा विकसित किया गया है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने 2 जुलाई 2020 को डिजिटल इंडिया आत्म निर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया। यह चुनौती केवल भारतीय उद्यमियों और स्टार्टअप्स द्वारा भागीदारी के लिए खुली थी। कू एप को सोशल मीडिया श्रेणी के तहत उक्त आत्म निर्भर एप चैलेंज के लिए पुरस्कृत करने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था क्योंकि यह मौजूदा एफडीआई नीति के अनुसार घरेलू कंपनी के रूप में वर्गीकृत होने के लिए एक योग्य प्रतिभागी था। ऐप विकसित करने वाली कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार, इसे स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है और ऐप डेटा पूरी तरह से भारत में इसके मुंबई स्थित सर्वर में संग्रहीत है। देश के भीतर परिचालन के साथ एक भारतीय कंपनी होने के नाते, इसे सरकार के सभी मौजूदा डेटा गोपनीयता और सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा।

(ड.) : डीपीआईआईटी के प्रेस नोट संख्या 3 के अनुसार, एफडीआई नीति खंड, पैरा 3.1.1 (क) कहता है कि "एफडीआई नीति के अधीन एक गैर-निवासी इकाई भारत में निवेश कर सकती है, उन क्षेत्रों/गतिविधियों को छोड़कर जो निषिद्ध हैं। हालांकि, किसी देश की एक इकाई, जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करती है या भारत में निवेश का लाभकारी मालिक किसी ऐसे देश में रहता है या किसी ऐसे देश का नागरिक है, केवल सरकारी मार्ग के तहत निवेश कर सकती है।"

साथ ही पैरा 3.1.1 (ख) के अनुसार, "भारत में किसी इकाई में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी मौजूदा या भावी एफडीआई के स्वामित्व के हस्तांतरण की स्थिति में, जिसके परिणामस्वरूप लाभकारी स्वामित्व पैरा के प्रतिबंध/दायरे में आते हैं। 3.1.1 (क), लाभकारी स्वामित्व में इस तरह के बाद के बदलाव को भी सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होगी।

****